न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :—श्री जयसिंह आर.ए.एस.

प्र0न0 —95 / 2020(2020 / 00125)

मिनवान : —

1. मुकेश पुत्र अमरसिंह उर्फ राजेन्द्र जाति जाट पड़गड़ निवासी साहूवाला तहसील भादरा।
2. संदीप पुत्र भूपसिंह जाति जाट पड़गड़ निवासी साहूवाला तहसील भादरा।

वादीगण

बनाम

1. अमरसिंह उर्फ राजेन्द्र पुत्र लादूराम जाति जाट पड़गड़ निवासी साहूवाला तहसील भादरा।
2. भूपसिंह पुत्र लादूराम जाति जाट पड़गड़ निवासी साहूवाला तहसील भादरा।
3. इन्द्रावती देवी पत्नी अमरसिंह उर्फ राजेन्द्र जाति जाट निवासी साहूवाला तहसील भादरा।
4. अनिता पुत्री अमरसिंह उर्फ राजेन्द्र जाति जाट निवासी साहूवाला तहसील भादरा।
5. चन्द्रमुखी पत्नी भूपसिंह जाति जाट निवासी साहूवाला तहसील भादरा।
6. रेणु पुत्री भूपसिंह जाति जाट निवासी साहूवाला तहसील भादरा।
7. कविता पुत्री भूपसिंह जाति जाट निवासी साहूवाला तहसील भादरा।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक
अन्तर्गत धारा 88राजस्थान कास्तकारी
अधिनियम

उपस्थिति :— श्री राजेन्द्र गोयल वादीगण
श्री रविन्द्र मोठसरा प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक: 17/02/2021

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि [illegible] चक 1 बीबीएम के वर्तमान खाता संख्या 88 / 107 के मुरब्बा न0 [illegible] के किला न0 8, 17, 23 की कुल किता 3 की कुल 0.759 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या [illegible] नाम 1/9 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 के नाम 1 / 9 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में [illegible] है। इसी प्रकार चक [illegible] के खाता संख्या 2 / 2 के मु0 न0 82 के किला न0 24, 25 की 0.506 है0 प्रतिवादी अमरसिंह उर्फ राजेन्द्र के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। इसी प्रकार चक 2 बीबीएम

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.09.24 10:22:54 IST
Reason: SelfAttested

के खाता संख्या 2/3 के मु0 न0 30 के किला न0 1, मु0 न0 31 के किला न0 5 प्रतिवादी संख्या 1 अमरसिंह उर्फ राजेन्द्र के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है तथा खाता संख्या 72/74 के मु0 न0 31 के किला न0 3, 4, 7, 14 प्रतिवादी भूपसिंह के नाम दर्ज है। इसी प्रकार चक 13 एएमएस के खाता संख्या 96/96 के मु0 न0 16 के किला न0 10, 11, 20 मु0 न0 24 के किला न0 5, 6, 15 प्रतिवादी भूपसिंह के नाम 1/9 हिस्सा व राजेन्द्र के नाम 1/9 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दु है तथा हिन्दु उतराधिकार अधिनियम एवं हिन्दु मिताक्षरा पद्धति से शासित होते है। वाद भूमि पहले वादी के दादा लादूराम की खातेदारी हुआ करती थी। लादूराम से विरास्तन वादभूमि जो प्रतिवादी अमरसिंह उर्फ राजेन्द्र व भूपसिंह ने कर्ता खानदान होने के चलते विरासतन इन्तकाल तन्हा अपने नाम से दर्ज करवा लिया। इस प्रकार वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्म से हक व अधिकार निहित है। वादभूमि तन्हा प्रतिवादी अमरसिंह उर्फ राजेन्द्र व भूपसिंह के नाम दर्ज होने से वादी के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

उक्त वाद भूमि हिन्दु खानदान की जद्दी जायदाद है जो वादीगणों के पिता को वादी के दादा लादूराम से विरासतन प्राप्त हुई है। चालू जमाबन्दी चक 1 बीबीएम सम्वत 2029–38 के खाता संख्या 41 एवं चक 2 बीबीएम सम्वत 2029–38 खाता संख्या 51 से साफ रोशन है इस प्रकार उक्त वाद भूमि में वादीगण का जन्म से हक व हिस्सा निहित है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त प्रतिवादीगण का जवाबदावा पेश हुआ। जो शामिल पत्रावली है।

साक्ष्य वादी में वादी मुकेश पुत्र अमरसिंह उर्फ राजेन्द्र जाति जाट निवासी साहूवाला तहसील भादरा के बयान करवाये गये। साक्ष्यवादी में जमाबन्दी चक 1 बीबीएम सम्वत 2074–77 खाता संख्या 2 प्रदर्श 1, जमाबन्दी चक 2 बीबीएम सम्वत 2071–74 खाता संख्या 72/74 प्रदर्श 2, खाता संख्या 3/2 प्रदर्श 3, जमाबन्दी चक 1 बीबीएम सम्वत 2074–77 खाता संख्या 88/... प्रदर्श 4, जमाबन्दी चक 13 एएमएस सम्वत 2072–75 खाता संख्या 96/96 प्रदर्श 5, ... खतौनी चक 1 बीबीएम सम्वत 2029–38 खाता संख्या 51 प्रदर्श 6, ... खतौनी चक 2 बीबीएम सम्वत 2029–38 खाता संख्या 51 प्रदर्श 7 प्रदर्शित करवाये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.09.24 10:22:54 IST
Reason: SelfAttested

बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अपने दावा के तथ्यों को दोहराते हुए वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किये जाने हेतु निवेदन

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

किया। वकील वादी ने चक 13 एएमएस के खाता संख्या 96/96 की कुल किता 6 की कुल 1.518 हैक्टेयर के ऐसे कोई दस्तावेज पेश नही किये जिससे यह साबित हो के उक्त भूमि दादालाई पैत्रक कृषि भूमि हो तथा वकील वादीगण ने निवेदन किया के उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम यथावत रखी जावें।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत वाद वादीगण ने रोही मौजा चक 1 बीबीएम के वर्तमान खाता संख्या 88/107 के मुरब्बा न0 82 के किला न0 8, 17, 23 की कुल किता 3 की कुल 0.759 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1/9 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 के नाम 1/9 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। इसी प्रकार चक 1 बीबीएम के खाता संख्या 2/2 के मु0 न0 82 के किला न0 24, 25 की 0.506 है0 प्रतिवादी अमरसिंह उर्फ राजेन्द्र के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। इसी प्रकार चक 2 बीबीएम के खाता संख्या 2/3 के मु0 न0 30 के किला न0 1, मु0 न0 31 के किला न0 5 प्रतिवादी संख्या 1 अमरसिंह उर्फ राजेन्द्र के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है तथा खाता संख्या 72/74 के मु0 न0 31 के किला न0 3, 4, 7, 14 प्रतिवादी भूपसिंह के नाम दर्ज है। इसी प्रकार चक 13 एएमएस के खाता संख्या 96/96 के मु0 न0 16 के किला न0 10, 11, 20 मु0 न0 24 के किला न0 5, 6, 15 प्रतिवादी भूपसिंह के नाम 1/9 हिस्सा व राजेन्द्र के नाम 1/9 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त वाद भूमि दादालाई कृषि भूमि होना साबित है इस प्रकार वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

<u>क्रियात्मक आदेश</u>

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 1 बीबीएम के वर्तमान खाता संख्या 88/107 के मुरब्बा न0 82 के किला न0 8, 17, 23 की कुल किता 3 की कुल 0.759 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1/9 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 के नाम 1/9 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। इसी प्रकार चक 1 बीबीएम के खाता संख्या 2/2 के मु0 न0 82 के किला न0 24, 25 की 0.506 है0 प्रतिवादी अमरसिंह उर्फ राजेन्द्र के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। इसी प्रकार चक 2 बीबीएम [illegible] संख्या 2/3 के मु0 न0 30 के किला न0 1, मु0 न0 31 के [illegible] की कुल 0.506 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 1 अमरसिंह उर्फ राजेन्द्र के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है तथा चक 2 बीबीएम के खाता संख्या 72/74 के मु0 न0 31 के किला न0 3, 4, 7, 14 कुल किता 4 की कुल 1.012 हैक्टेयर प्रतिवादी भूपसिंह के नाम दर्ज है। ऊपर वर्णित कृषि भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 अमरसिंह उर्फ राजेन्द्र का नाम कलमजन किया जाकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.09.24 10:22:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व),
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

प्र0 सं0 168/2019 अनुवान कुलदीप बनाम सोहनलाल आदि धारा 88 आरटीएक्ट

वादी संख्या 1 मुकेश व प्रतिवादी संख्या 2 भूपसिंह का नाम कलमजन किया जाकर वादी संख्या 2 संदीप को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3 व 4 द्वारा वादीगण के हक में त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 17/02/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

(जयसिंह)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व) R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.09.24 10:22:54 IST
Reason: SelfAttested